उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 201वीं बैठक
दिनांक 26 मार्च, 2008 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 201वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री शंकर अग्रवाल, की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें निम्न उपाध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित रहे :–

1	श्री शंकर अग्रवाल	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	श्री मदन लाल बिन्द	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
3	श्री अच्छे लाल निषाद	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
4	श्री हीरा लाल कश्यप	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
5	श्री अनिल सन्त	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
6	श्री एस0पी0 मिश्र	विशेष सचिव, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास,उ0प्र0 शासन,लखनऊ।	सदस्य
7	सुश्री नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
8	श्री एन0 आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0।	सदस्य
9	श्री यू0 के0 गुप्ता	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
10	श्री एस0 एन0 राम	मुख्य अभियंता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य

विशेष आमंत्री

11	श्री राम बहादुर	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने, निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इसके पश्चात परिषद बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

मद सं0	विषय	निर्णय
201/1	परिषद की 200वीं बैठक दिनांक 15.12.2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
201/2	परिषद की 200वीं बैठक दिनांक 15.12.2007 की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गये :– 1. खेद व्यक्त किया गया कि पूर्व में लिए गये स्पष्ट निर्णय के बाद भी एजेण्डा समय से नही भेजा गया। निर्णय लिया गया कि बैठक की कार्यसूची हर हालत में कम से कम 10 दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही अवश्य सुनिश्चित की जाये। 2. विभिन्न मदों पर लिये गये निर्णय के अनुपालन के सम्बन्ध में पूर्ण एवं स्पष्ट आख्या प्रस्तुत की जाये। 3. चार्टर्टेड एकाण्उटेंट द्वारा दिये गये सुझाओं एवं उस पर प्रस्तावित कार्यवाही का Power Point Presentation आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

		4. आवास आयुक्त की अध्यक्षता में वित्त नियंत्रक, संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, प्रमुख सचिव आवास द्वारा नामित विशेष सचिव को सम्मिलित करते हुए निदेशक मंडल की एक आडिट उप समिति का पुर्नगठन कर लिया जाये जो नियमानुसार बैठक कर अपनी रिपोर्ट परिषद के समक्ष रखेगी।

वित्त एवं लेखा अनुभाग

201/3	वित्तीय वर्ष 2007–08 के पुनरीक्षित व वित्तीय वर्ष 2008–09 के प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमान के अनुमोदनार्थ परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी	वित्तीय वर्ष 2007–08 का पुनरीक्षित व वित्तीय वर्ष 2008–09 का अनुमानित/ प्रस्तावित आय–व्ययक इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि वित्तीय 2008–09 के कुल प्राप्ति के लक्ष्य रू0 791.90 करोड़ से बढ़ाकर रू0 850.00 करोड़ करते हुए पुनरीक्षित कर लिया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए रणनीति एवं विभिन्न स्तरो का उत्तरदायित्व निर्धारण कर एक Power Point presentation आगामी बोर्ड बैठक में किया जाय।
201/4	दुर्बल आय वर्ग की ईकाइयों पर प्रशासनिक व्यय तथा ओवरहेड चार्जेज न लिए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए शासनादेश को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

201/5	परिषद की वृंदावन योजना संख्या–2 भाग–2 लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम उतरठिया के खसरा संख्या–320 में विद्यमान स्ट्रक्चर को समायोजित करने विषयक।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
201/6	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना की योजना का संचालन किया जाना।	प्रकरण से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 14.03.08 अवलोकित किया गया।
201/7	दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–10 सहारनपुर के धारा–31(1) के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावित क्षेत्रफल 40.412 है0 की धारा–31(1) के अन्तर्गत प्रस्ताव इस अभ्युक्ति के साथ स्वीकृत किया गया कि "नियोजन समिति" द्वारा संस्तुत, नियमानुसार वेटरमेन्ट चार्ज लेते हुए अर्जन मुक्त की जाने वाली 3.484 है0 भूमि पर निर्माण धारा–28 के पूर्व का हो तथा इसको छोड़े जाने पर योजना के ले–आउट प्लान पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

201/8	भवन मानचित्र की प्रक्रिया में सरलीकरण के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए शासनादेश को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।
201/9	सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों के मानकों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समाविष्ट करने के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए शासनादेश को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।
201/10	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में एन0बी0सी0 के प्राविधानों को समायोजित करते हुए परिषद में अंगीकृत किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए शासनादेश को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन अनुभाग

201/11	अभियंता संवर्ग के कार्मिकों को समायमान–वेतनमान की सुविधा के अन्तर्गत दिनांक 1.1.86 से दिनांक 03.09.2004 की अवधि के एरियर एवं लेखा संवर्ग एवं लिपिकीय/ आशुलिपिक संवर्ग को दि0 01.01.1986 से वेतनमान संशोधित होने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.1986 से दिनांक 28.11.2005 की अवधि के एरियर के भुगतान के संबंध में।	प्रस्ताव निरस्त किया गया।
201/12	बैकलाग के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के सहायक अभियंता (सिविल) के विज्ञाप्ति पदों के विरुद्ध परिषद में अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्यरत अवर अभियंताओं को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा में दी गयी छूट की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव निरस्त किया गया।
201/13	अधीक्षण अभियंता के पद पर स्थायी किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित करते हुए यह निर्देश दिये गये कि वर्ष 2005–06 व 2006–07 की प्रविष्टियाँ सक्षम स्तर से पूर्ण कराकर प्रस्तुत किया जाये।
201/14	परिषद में कार्यरत अधीक्षण अभियंताओं (सिविल)/ (विद्युत/यांत्रिक) की उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली–2007 के नियम–8–क के आधार पर तैयार एवं पत्र संख्या 1282/प्रशा0एक दि0 27.12.07 द्वारा प्रसारित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण एवं वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिए जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 09.01.2008 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

संपत्ति प्रबंध एवं पंजीकरण अनुभाग

201/15	परिषद की राजाजीपुरम योजना, लखनऊ में बोधिसत्व बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर विकास संस्थान को आबंटित भूखण्ड की दर में संशोधन किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव विद्यमान नियमों के अन्तर्गत न आने के कारण अस्वीकार किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस योजना में ब्रम्हलीन परम संत श्री मनमोहन लाल जी स्मारक ट्रस्ट द्वारा आवंटन की शर्तो के अनुसार विकास/ निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कारण बताओ नोटिस

		देकर वैधानिक कार्यवाही की जाये। इसी प्रकार श्री राम सेवा समिति द्वारा आवंटन की शर्तों के अनुसार विकास/निर्माण न कराये जाने तथा भूमि को शादी–विवाह के प्रयोग में लाये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कारण बताओ नोटिस देकर वैधानिक कार्यवाही की जाये।
201/16	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के उपाध्यक्षों को भवन/भूखण्ड आबंटित किए जाने के संबंध में।	मा0 सदस्य विधान सभा एवं विधान परिषद को दी जा रही सुविधा की भांति माननीय उपाध्यक्षों को भी सुविधा अनुमन्य करने के लिए प्रकरण शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

201/17	इन्टीग्रेटेड विकास नीति के अन्तर्गत बल्क भूमि आबंटन प्रणाली के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्देश दिये गये कि इस विषय पर जारी सभी लागू शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा आरक्षित मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में अर्जन व्यय के साथ–साथ वाहय विकास में हुए व्यय तथा भूमि के बाजार मूल्य आदि को भी ध्यान में रखा जाये। ले–आउट प्लान में ग्रीन बेल्ट व रोड आदि का मानक के अनुसार समुचित प्राविधान रखा जाये, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये :– 1. योजना के मध्य मुख्य मार्ग तथा उसके Perpendicular निकलने वाला मार्ग 50 मी0 चौड़ाई का हो। 2. योजना के खण्डो के बीच समुचित ग्रीन बेल्ट रखा जाये। (न्यूनतम 50 मी.) 3. योजना में गुजरने वाली हाई टेन्शन लाइन के नीचे समुचित ग्रीन बेल्ट रखा जाये। (न्यूनतम 50 मी.)

अभियंत्रण अनुभाग

201/18	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, खुर्जा, बुलन्दशहर एवं मुरादाबाद स्थित विभिन्न योजनाओं में स्वयं वित्त पोषित योजना–2008 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के फिनिश्ड भवनों के खोले गऐ पंजीकरण एवं उसके विरुद्ध प्राप्त पंजीकरणों के विरुद्ध निर्मित किए जाने वाले भवनों से संबंधित प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि भवन का अन्तिम मूल्यांकन, वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर होगा। भूमि का वास्तविक मूल्यांकन कैसे किया जायेगा, इसकी टिप्पणी भी निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाये। जिससे परिषद को भूमि का उचित मूॅल्य मिल सके।

भूमि अर्जन अनुभाग

201/19	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–2 उन्नाव के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित करते हुए निर्देश दिये गये कि और भूमि लेकर प्राइवेट पार्टिसिपेशन के आधार पर उसे विकसित किये जाने का भी परीक्षण किया जाये।
201/20	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	1. निर्देश दिये गये कि परिषद की योजनाओं के ले–आउट में कई स्थान ओपेन स्पेस के रूप में दर्शाये जाते है जिससे इनके भू–उपयोग की Clarity नही रहती। ऐसे ओपेन स्पेसों की समीक्षा करके उनके भू–उपयोग का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

5/08
(अनिल संत)
आवास आयुक्त

अनुमोदित
(शंकर अग्रवाल)
अध्यक्ष

पुष्टि की गयी
अध्यक्ष